



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230539
CG-DL-E-19102021-230539

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3980]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943

No. 3980]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4329(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जिला भूमि अर्जन अधिकारी, गया, बिहार को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनूसूची

बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला : गया

क्रम सं.	मौजा का नाम	थाना नं.	प्लॉट सं.	प्रभावित प्लॉट	प्रभावित रकबा	
					(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
1	कुजापी	185	2757	अंश	0.1346	0.3325
2			2762	अंश	0.0385	0.0952
3	गेरे	252	1191	अंश	0.0197	0.0487
4	मानपुरवार्ड नं.- 31	250	501	अंश	0.0870	0.215
5	कण्डी नवादा वार्ड नं. -1	189	546	अंश	0.1061	0.26
6	कण्डी नवादा	189	1717	पूर्ण	0.0283	0.07
7	डबुर	252	73	पूर्ण	0.0040	0.0106
8			414	पूर्ण	0.0016	0.0040
9			469	पूर्ण	0.0100	0.0240
10	बगई	660	489	अंश	0.1	0.2471

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2229]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निर्देशक (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

S.O. 4329(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gaya in the State of Bihar hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Incharge Land Acquisition Officer, Gaya, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Gaya in the State of Bihar.

DISTRICT: GAYA

Sr. No.	Name of Mouza	Thana No.	Plot No.	Affected Plot	Affected Area	
					(in Hect.)	(in Acre)
1	Kujapi	185	2757	PART	0.1346	0.3325
2			2762	PART	0.0385	0.0952
3	Gere	252	1191	PART	0.0197	0.0487
4	Manpur Ward No. 31	250	501	PART	0.0870	0.215
5	Kandi Nawada Ward No. 1	189	546	PART	0.1061	0.26
6	Kandi Nawada	189	1717	FULL	0.0283	0.07
7	Dabur	252	73	FULL	0.0040	0.0106
8			414	FULL	0.0016	0.0040
9			469	FULL	0.0100	0.0240
10	Bagai	660	489	PART	0.1	0.2471

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2229]

A. K. SINHA, Executive Director (LA and SD)